न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 62/2022

अपीलांट

रामचन्द्र पुत्र अमराराम जाति मेघवाल निवासी नोसल जिला अजमेर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, बाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 15.9.2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाली द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 07/2022 बउनवान रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 02.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पेश कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ा नया मार्ग उपलब्ध कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली ने जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात तहसीलदार बाली के माफिक रिपोर्ट अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 हैक्टर में आवागमन के लिये राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम बेड़ा चक प्रथम के खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.16 हैक्टर में से **47X9.15=430** वर्गमीटर रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

में अपीलाण्ट ने जरिये ई–चालान सैतालिस हजार सात सौ चार रुपये जमा करवा दिये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने सो–मोटो पूर्व पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 को रिव्यू कर जेर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश बिना अपीलांट को सूचित किये, सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251'क' के प्रावधानो अनुसार 30 फीट चौड़ा नया रास्ता उपलब्ध कराने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 में 30 फीट(9.15 मीटर) चौडा रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 02.05.2022 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 11.04.2022 को एकतरफा रिव्यू कर खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.16 हैक्टर में से 9.15 मीटर चौड़ा रास्ता की बजाय 8 मीटर लिखकर फिर उसे काटकर 7 मीटर चौडा अर्थात 22.96 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराये जाने का जैर अपील आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पेश कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा तहसील बाली के खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ा नया मार्ग उपलब्ध कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पेश कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ा नया मार्ग उपलब्ध कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर निर्णय दिनांक 11.04.2022 से 9.15 मीटर चौडा, कुल 430 वर्गमीटर रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया, इस आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सोमोटो रिव्यू कर रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर करते हुए कुल भूमि 329 वर्गमीटर रास्ते के रूप में दी गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में एक रूप से अपीलाधीन आदेश बिना सुनवाई पारित किए जाने को इंगित किया है, एवं रास्ते की भूमि को कम करने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा उठाये गए बिन्दुओ के परीक्षण हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2022 को स्वमेय पुनर्विलोकन कर दिनांक 02.05.2022 को निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 02.05.2022 को 47704 रूपये राजकोष में जमा करवाये गए है। धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानुसार अधिकतम 30 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का प्रावधान है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर बाली द्वारा पारित राजस्व प्रकरण संख्या 07/2022 बउनवान रामचन्द्र बनाम सरकार में संशोधित आदेश दिनांक 02.05.2022 को अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को अपनी खातेदारी भूमि मौजा बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 2694/30 रकबा 2.1450 हैक्टेयर बारानी दोयम में आवागमन हेतु खसरा नंबर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से 8 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाली को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए 8 मीटर चौड़ा रास्ते में आने वाली भूमि की गणना कर राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै. मु. रास्ता अमल दरामद करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.9.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली